शासनादेश संख्या-02/1527/74-2013-24(ब)/2012 टी0सी0, दिनांक 05 फरवरी, 2014 का संलग्नक

संख्या-03/1527/74-2013-24(ब)/2012 टी0सी0, दिनांक 05 फरवरी, 2014

फार्म बी0एम09(भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली भांति देख लिया जाय)

अनुदान सं0 व नाम : कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास विभाग) वित्तीय वर्ष 2013-14 (धनराशि हजार रूपये में)

| निम्नलितखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमित हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| अनुदान सं0-10 | | | | | |
| 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-00-001-निदेशन तथा प्रशासन- 03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय | | | | | |
| 29-अनुरक्षण | 1540 | 1540 | 1500 | 500 | 1040 |
| **योग** | **1540** | **1540** | **1500** | **500** | **1040** |
| | | | | | |
| निम्नलिखित निधियोंसे प्रस्तावित संक्रमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
| लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर | वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग | वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित कुल व्यय | संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8) | वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि | संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (8-11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| अनुदान सं0-10 | | | | | |
| 2851-00-001-03-00-15 | | | | | |
| 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग | | | | | |
| -00 | | | | | |
| -001-निदेशन तथा प्रशासन | | | | | |
| -03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय | | | | | |
| -15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 2660 | 4160 | 1500 | 500 | 3160 |
| **योग** | **2660** | **4160** | **1500** | **500** | **3160** |

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

अ- वास्तविक आवश्यकताओं के दृष्टिगत।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ -9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है-

ब- वास्तविक आवश्यक वार्षिक मांग के सापेक्ष कम धनराशि प्राप्त होने के कारण।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश के बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों /परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आरई. 252/ई- दिनांक 28 जनवरी, 2014

सेवा में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम)

उ0प्र0 इलाहाबाद

हस्ताक्षर.....

नाम व पदनाम:- (अविनाश चन्द द्विवेदी)

उप सचिव(वित्त)

उ0प्र0 शासन

http://shasnadesh.up.nic.in

हस्ताक्षर .....

नाम व पदनाम:- अजय कमार उपाध्याय, विशेष सचिव

प्रशासकीय विभाग:- रेशम विकास विभाग

संख्या: दिनांक: फरवरी, 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- संबंधित विभागाध्यक्ष (नियंत्रक अधिकारी/निदेशक, रेशम)।

2-मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

4-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को 02 (स्वच्छ प्रतियों में)।

5-वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1

6-कार्यालय प्रति/गार्डफाइल।

हस्ताक्षर .....

नाम व पदनाम:- अजय कमार उपाध्याय,

पदनाम:- विशेष सचिव

प्रशासकीय विभाग:- रेशम विकास विभाग

अनुदेश

(1) प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत मतदेय और भारित व्यय से संबंधित पुनर्विनियोगों के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किये जाने चाहित। भारित व्यय से संबंधित प्रस्तावों में लेखाशीर्ष के साथ कोष्ठक में शब्द "भारित" अंकित कर दिया जाए।

(2) जिन लेखा शीर्षों में प्रभाव पड़ेगा उनका वर्णन ब्यौरेवार अनुमानों में दिये गये वर्णन के अनुरूप होना चाहिए।

(3) कालम-2 तथा 8 में मूल बजट प्राविधान, अनुपूरक प्राविधान और पुनर्विनियोगों की धनराशि, जो प्रसतावित पुनर्विनियोगों के दिनांक तक संबंधित लेखाशीर्ष् के अन्तर्गत यथाविधि स्वीकृति हुए हो, को सम्मिलित किया जाए।

(4) प्रपत्र के कालम-5,6 व 11, 12 में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोग अंकित किया जायेगा।

http://shasnadesh.up.nic.in